

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 2015/चैत्र 21, 1937

No. 226]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 2015/CHAITRA 21, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2015

सं. 11/2015-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 281(अ).—जहां अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास अथवा पोर्सलेन/सिरमिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, चाहे वे असेम्बलड हो या असेम्बल न किए हुए हो" (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 854610 या 854620 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-1, तारीख 1 जुलाई, 2014 में अधिसूचना फा. सं. 14/11/2013-डीजीएडी द्वारा विषयगत देश से मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी के उपर्युक्त प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2014- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जिसे सा0का0नि0 664(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था;

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी अधिसूचना सं0 14/11/2013-डीजीएडी, 4 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में 4 मार्च, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु ने भारतीय बाजार में संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश किया है,

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

जबकि अभिहित प्राधिकारी ने विषयगत देशों से मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 854610 या 854620 के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्रस.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	854610 या 854620	ग्लास के इंसुलेटर्स अथवा पोर्सलेन/सिरमिक है, चाहे वे असेम्बल्ड हो या अनअसेम्बल्ड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं. लि.	नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं. लि.	1,188	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिगोंग सेडिवर थंगहेन्ड ग्लास इंसुलेटर कं. लि. या सेडिवर इंसुलेटर्स(शंघाई) कं. लि.	जिगोंग सेडिवर थंगहेन्ड ग्लास इंसुलेटर कं. लि. या सेडिवर इंसुलेटर(शंघाई) कं. लि. या सेडिवर एस ए (फ्रांस)	687	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	डालियन इंसुलेटर्स ग्रुप कं. लि.	डालियन इंसुलेटर्स ग्रुप कं. लि.	1,377	मीट्रिक टन.	अमरीकी डालर
4	854610 या 854620	वही सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लि.	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लि.	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं.लि.	128	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चेंगडू ग्लोबर स्पेशल ग्लास मैनुयु. कं. लि.	सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं. लि.	1,174	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

6	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 5 से इतर अन्य कोई संयोजन		2,042	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	2,042	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	854610 या 854620	वही	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	2,042	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

टिप्पणी: विचाराधीन उत्पाद “ग्लास अथवा पोर्सलेन/सिरामिक के इलैक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं, चाहे वे असेम्बल्ड हो या असेम्बल न किए हुए हो”, जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

1. 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ इंसुलेटर्स,
2. 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक उपकरण/डिवाइस इंसुलेटर्स
3. कंपोजिट इंसुलेटर्स
4. कंडेन्सर बुशिंग और ट्रांसफार्मर

2. लगाया गया प्रतिपादन शुल्क अनंतिम अधिसूचना द्वारा अधिरोपित अनंतिम प्रतिपादन शुल्क की तारीख से यानि की 16 सितम्बर, 2014 से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं. 354/111/2014-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2015

No. 11/2015-Customs (ADD)

G.S.R.281(E).—Whereas in the matter of ‘Electrical Insulators of Glass or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 8546 10 or 8546 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 14/11/2013-DGAD, dated the 1st July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 1st July, 2014, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue), number 40/2014-Customs (ADD), dated the 16th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 16th September, 2014;

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification number 14/11/2013-DGAD, dated the 4th March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th March, 2015, has come to the conclusion that—

- (a) the subject goods have been exported to India from subject country below normal value;
- (b) the domestic industry has suffered injury on account of subject imports from subject country;
- (c) the injury has been caused by the dumped imports of subject goods from subject country;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading 8546 10 or 8546 20 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (6), when exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), by the exporter as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8546 10 or 8546 20	Electrical Insulators of Glass, or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled	People's Republic of China	People's Republic of China	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	1,188	Metric Tonnes	United States Dollor
2	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. or Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co.Ltd. or Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd. or Sediver S.A.(France)	687	Metric Tonnes	United States Dollor
3	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	1,377	Metric Tonnes	United States Dollor
4	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd.	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	128	Metric Tonnes	United States Dollor

5	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd	Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd	1,174	Metric Tonnes	United States Dollor
6	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Any combination other than Sl. No 1 to 5 above		2,042	Metric Tonnes	United States Dollor
7	-do-	-do-	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	Any	2,042	Metric Tonnes	United States Dollor
8	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	2,042	Metric Tonnes	United States Dollor

Note: Electrical Insulators of Glass, or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled, as mentioned in column (3) above, do not include the following, namely:—

- (i) Telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV;
- (ii) Electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV;
- (iii) Composite insulators;
- (iv) Condenser bushings and transformer.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of provisional anti-dumping duty, that is, the 16th September, 2014 and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/111/2014 –TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2015

सं. 12/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 282(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, थाईलैंड और वियतनाम में मूलतः उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8523 के अंतर्गत आने वाले “रिकार्डेबल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क (डीवीडी)” पर, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की सा.का. नि. सं. 783(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. 98/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (1) और (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड 1 में दिनांक 27 मार्च, 2015 को प्रकाशित दिनांक 27 मार्च, 2015 के अधिसूचना सं0 15/01/2015- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 783(अ) के अंतर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 98/2010-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम सं. 7 से 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii), पैराग्राफ 2 के पश्चात तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 11 अप्रैल, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए।”

(iii) स्पष्टीकरण में, मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(क) डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डेबल का अभिप्राय सभी प्रकार की डिस्क से है जिनमें डीवीडी-आर, डीवीडी+आर शामिल हैं लेकिन डीवीडी – आर डब्ल्यू और डीवीडी+आरडब्ल्यू शामिल नहीं हैं।

2. यह अधिसूचना 12 अप्रैल, 2015 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/244/2009-टीआरयू, (भाग - II)]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 98/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 28 सितम्बर, 2010, सा.का.नि. 783 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 34/2013-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2013 सा.का.नि. 812(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2015

No. 12/2015-Customs (ADD)

G.S.R.282(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification number 15/01/2015-DGAD, dated the 27th March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th March, 2015 has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on “Recordable Digital Versatile Disc [DVD]”, falling under the heading 8523 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from Thailand and Vietnam, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 98/2010-Customs, dated 28th September, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 783(E), dated the 28th September, 2010, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 98/2010-Customs, dated 28th September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 783(E), dated 28th September, 2010, namely:—

In the said notification,—

(i) In the Table, serial number 7 to 9 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after paragraph 2 and before the Explanation, the following shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 11th day of April, 2016, unless revoked earlier.”;

(iii) in the Explanation, for item (a) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(a) Digital Versatile Disc Recordable means such discs of all kinds and includes DVD-R, DVD+R, but does not include DVD-RW and DVD+RW;”.

2. This notification shall come into effect from 12.04.2015.

[F. No. 354/244/2009–TRU (Pt- II)]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification No. 98/2010-Cutsums, dated the 28th September, 2010, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 783(E), dated the 28th September, 2010 and last amended by notification No. 34/2013-Customs (ADD), dated the 31st December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 812(E), dated the 31st December, 2013.